HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2686/2026
CNR: RJHC020145972026 | URN: CRLMB / 4763U / 2026

Mohammad Khalid S/o Yasin Khan, Aged About 47 Years, Resident Of House No 496, Maharajsingh Nagar, Puliya No 9, Near Pani Ki Tanki Jhansi, Police Station Premnagar, District Jhansi (Uttar Pradesh). (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7777/2026
CNR: RJHC020446772026 | URN: CRLMB / 14138U / 2026

Mohammad Azam S/o Late Niyaj Ahmad, Aged About 20 Years, R/o Unchhara Kalan, Police Station Dudhara, District Sant Kabeer Nagar, Uttar Pradesh, Presently Tenant House Kajupada Pipeline Road Ghas Compound, Kurla West, Mumbai, Police Station Sakinaka, Mumbai. (Presently Confined At Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nishant Sharma, Adv. Mr. Hifzur Rehman, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Ms. Chhaya Sharma, Adv. Mr. Shrawan Kumar, IO and Inspector Cyber Police Station Jaipur.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

03/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र बी.एन.एस.एस. की धारा 483 के अन्तर्गत

साईबर पुलिस स्टेशन आयुक्तालय, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**25/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 319(2), 316(2), 61(2)(b) बी.एन.एस. तथा 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होकर एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रस्तुत हुए हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण ने तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। वे करीब6–7 माह से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण में महत्वपूर्ण अनुसंधान हो चुका है, अभियुक्तगण से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है, उनके विरूद्ध आरोप पत्र पेश हो चुका है, विचारण में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता एवं भारी राशि की धोखाधडी आदि को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में परिवादी बलवान सिंह द्वारा यह आरोप लगाया है कि मनीषा देसाई नाम की महिला ने परिवादी के सी.ए. राहुल अग्रवाल से सम्पर्क कर क्रिप्टो–करेंसी में बड़ी राशि निवेश करने तथा उस पर बड़ा लाभ प्राप्त होने की प्रवंचना करते हुए उसे राशि निवेशित करने हेतु दुष्प्रेरित किया एवं परिवादी ने 4,95,00,000/– रूपये बताये गये बैंक खातों में अन्तरित किये, लेकिन अन्ततः उसे वांछित प्रतिफल अथवा लाभ प्राप्त नहीं हुआ और क्रिप्टो–करेंसी के नाम पर उसके साथ धोखाधडी की गयी।

अनुसंधान के दौरान यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान दोनों अभियुक्तगण के अलावा अन्य अभियुक्तगण भी गिरोह के रूप में शामिल हैं, परिवादी से अन्तरित राशि में से दस लाख रूपये मोहम्मद खालिद के खाते में तथा साढे छः लाख रूपये की राशि अभियुक्त मोहम्मद आजम के खाते में जमा हुई है।

उपरोक्तानुसार यद्यपि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन अभियुक्त खालिद अथवा आजम के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण या साईबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज नहीं हैं, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह भी निवेदन रहा है कि उनके खातों का अन्य व्यक्तियों द्वारा दुरूपयोग किया गया है, अभियुक्तगण करीब सात माह से अभिरक्षा में है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्तगण के बैंक खातों में अन्तरित राशि की मात्रा व बरामदगी व अभिरक्षा की अवधि आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **1. मोहम्मद खालिद पुत्र यासिन खान तथा 2. मोहम्मद आजम पुत्र स्व0 नियाज अहमद** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

29 & 31/Mittal